

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 69/2015

रेशमी देवी पत्नी  
विमला देवी पुत्री  
रघुवीर पुत्र  
कालूराम पुत्र  
सावित्री पुत्री

स्व. श्री चन्दूराम जाति नायक  
साकिन 51 एल.एन.पी.  
तहसील पदमपुर  
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

वादीगण

बनाम


1. नन्दराम पुत्र आदूराम जाति नायक साकिन 51 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तेजाराम पुत्र आदूराम जाति नायक साकिन घमुड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. खेताराम पुत्र आदूराम जाति नायक साकिन बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. सावित्री पुत्री आदूराम पत्नी कृष्णराम जाति नायक साकिनअराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. साहबराम पुत्र मैथी देवी पत्नी खेमाराम पुत्री आदूराम
6. रामलाल जाति नायक साकिन पण्डितावाली
7. पृथ्वी तहसील पीलीबंगा
8. लालचन्द जिला हनुमानगढ़
9. रूपाराम राजस्थान।
10. दयालाराम
11. गुड्डी देवी पुत्र मैथी देवी पत्नी खेमाराम पुत्री आदूराम
12. किस्तुरी जाति नायक साकिन पण्डितावाली
13. कलावती तहसील पीलीबंगा
14. चुसी देवी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. विमला देवी पत्नी मनफूल पुत्र खेताराम जाति नायक
16. जीताराम पुत्र पुत्री मनफूल पुत्र खेताराम साकिन पण्डितावाली
17. कमल सिंह तहसील पीलीबंगा
18. सोमा देवी जिला हनुमानगढ़
19. मन्जू राजस्थान।
20. राजाराम पुत्र मीरां देवी पत्नी जैसाराम जाति नायक साकिन माझंबास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
21. मटरों देवी पुत्री मीरां देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक साकिन मोहनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
22. सुसी देवी पुत्री मीरा देवी पत्नी रामकुमार जाति नायक साकिन बोलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

**दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन**

निर्णय

दिनांक :- 04/11/2015

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये

  
सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पेश होने पर वाद वादीगण एवं प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 1 साबित नहीं होने पर अस्वीकार किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 04-12-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपसहस्रव्यवस्थापिका एवं  
सुपेखण्डाधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा